संख्याः 1745/9–आ–1–96–8 मिस/96

प्रेषक, **श्री जीवेश नन्दन,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **1. उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
**2. आवास आयुक्त,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 24 अप्रैल, 1996

**विषयः विकास प्राधिकरण की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 204/9–आ–5–8 मिस/86 दिनांक 9 मार्च, 1995 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर 2 में अमितव्ययी सम्पत्तियों के निसतारण हेतु आवेदन पत्रों के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि 30. 6. 95 को बढ़ाकर दिनांक 30.6.97 निर्धारित किया जाता है। तदनुसार शासनादेश दिनांक 9 मार्च, 1995 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश एवं इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्याः 2812/9–आ–95 दिनांक 18 सितम्बर, 1995 में निर्धारित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

2. कृपया उपराक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**जीवेश नन्दन**
संयुक्त सचिव